



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट
सोनभद्र - (उ०प्र०)



05446-252020

PIN Code: 231217

Email: dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक- 883 / रेनुकूट / 15-6 रेनुकूट, दिनांक, सितम्बर, 09, 2023
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
भीरजारपुर क्षेत्र
भीरजारपुर ।

विषय:- एन०टी०पी०सी० रिहन्दनगर, बीजपुर-सोनभद्र द्वारा जनपद-सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत रिहन्द सुपर थर्मल पावर परियोजना के निर्माण में प्रभावित 555.759 हे० आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग के नियमितीकरण के सम्बन्ध में ।

संदर्भ:- 1-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक-3179/11-सी FP/UP/THERMAL/36097/2018 लखनऊ दिनांक-03.04.2023
2-इस कार्यालय का पत्रांक- 438/रेनुकूट/15-6 दिनांक- 01.08.2023
3-आपका पत्रांक- 578/मी०क्षे०/33 दिनांक- 11.08.2023
4-इस कार्यालय का पत्रांक- 610/रेनुकूट/15-6 दिनांक- 11.08.2023
5-आपका पत्रांक- 649/मी०क्षे०/33 दिनांक- 16.08.2023

महोदय,

विषयक प्रकरण संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें । प्रश्नगत प्रकरण में आपके संदर्भित पत्र दिनांक- 16.08.2023 द्वारा इंगित कमियों का निराकरण कराते हुए संशोधित व्यय अनुमान पत्र एवं वांछित प्रमाण पत्र की प्रति ऑन लाइन अपलोड कराते हुए निम्नानुसार अवलोकनार्थ एवं संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1- प्रश्नगत प्रकरण में तैयार कराये गये संशोधित व्यय अनुमान पत्र के प्रथम चरण (अग्रिम मृदा कार्य), द्वितीय चरण(वृक्षारोपण) एवं तृतीय चरण (अनुरक्षण प्रथम वर्ष) में अंकित धनराशि मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या- जी-152/15-1(सीलिंग दर) दिनांक- 30.01.2023 के अनुसार लिया गया है तथा चतुर्थ चरण (अनुरक्षण द्वितीय वर्ष), पंचम चरण(अनुरक्षण तृतीय वर्ष), षष्ठम चरण(अनुरक्षण चतुर्थ वर्ष), सप्तम चरण(अनुरक्षण पंचम वर्ष), अष्टम चरण(अनुरक्षण षष्ठम वर्ष) नवम चरण(अनुरक्षण सप्तम वर्ष), दसम चरण(अनुरक्षण अष्टम वर्ष), एकादश चरण(अनुरक्षण नवम वर्ष) में अंकित धनराशि मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ०प्र० कैम्पा लखनऊ के पत्रांक- 999/2-37-2(सीलिंग दर) दिनांक- 17.02.2021 के अनुसार लिया गया है ।

2- प्रश्नगत प्रकरण में तैयार कराये गये संशोधित व्यय अनुमान पत्र के प्रथम चरण (अग्रिम कार्य कार्य) को छोड़कर आगामी वर्षों में महंगाई व मुद्रास्फीति (Cost exclamation) को ध्यान में रखते हुए मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ द्वारा पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के क्रम में प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की दर से अनुमानित वृद्धि को भी समावेसित किया गया है ।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(स्वतंत्र कुमार श्रीवास्तव)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट